

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(23)एम.ई./ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक 11 MAY 2020

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम-31 के अनुसार प्लास्टिक एण्ड रिक्सट्रक्टिव सर्जरी विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अस्थाई वरिष्ठता सूची एतद्वारा जारी की जाती है। यदि कोई चिकित्सक शिक्षक इससे परिवेदित हो तो, इसके जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपना अभ्यावेदन प्रमाणित दस्तावेजों सहित इस विभाग को निश्चित रूप से प्रेषित कर दें। निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी :-


वरिष्ठ आचार्य/आचार्य					
क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	डीएसीपी चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० जी.एस. कालरा	सामान्य	14.03.1958	2011-12	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2011
2.	डॉ० प्रदीप गोविल	अजा	01.08.1958	2014-15	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2014
3.	डॉ० मधु माहेश्वरी	सामान्य	03.10.1959	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
4.	डॉ० राकेश कुमार जैन	सामान्य	30.09.1965	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
5.	डॉ० सुनील श्रीवास्तव	सामान्य	22.02.1963	2018-19	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2018
6.	डॉ० राजकुमार पालीवाल	सामान्य	14.09.1958	2019-20	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2019
7.	डॉ० प्रदीप कुमार गुप्ता	सामान्य	30.09.1960	2015-16	आचार्य 01.04.2015 (डेफर प्रकरण)

सह-आचार्य

1.	डॉ० संगीता ठुकरानी	सामान्य	04.06.1980	2019-20	01.04.2019
----	--------------------	---------	------------	---------	------------


सहायक आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि/कार्यग्रहण तिथि
1.	डॉ० जगदीप सिंह	सामान्य	26.07.1974	24.09.2012 (डेफर प्रकरण)
2.	डॉ० नेपो पद्मनाभन विद्यार्थी	सामान्य	12.05.1973	15.10.2012 (डेफर प्रकरण)
3.	डॉ० अमित कुमार शर्मा	सामान्य	07.03.1984	03.05.2017 (नियुक्ति तिथि)
4.	डॉ० निर्मल कुमार गुप्ता	सामान्य	05.01.1976	05.06.2017 (नियुक्ति तिथि)

आज्ञा से

 (सुनील शर्मा)
 शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज।
4. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


 (रमेश चन्द्र आर्य)
 शासन उप सचिव